Rcms2015/00048

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 5/2015 (प्रार्थना पत्र)

उनवान

नाथू उर्फ नासीर हुसैन आत्मज कालू जाति मुसलमान निवासी कोटसुंवा तहसील दीगोद जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

1. आबिद पुत्र मो0 इश्हाक (फौत) मृतक कायम मुकाम
1/1 जरीना बेवा आबिद
1/2 शानू पुत्र आबिद
2. सत्तार पुत्र मो0 इश्हाक
3. वहीद पुत्र मो0 इश्हाक
4.ताहेरी पुत्री मो0 इश्हाक
5. सायरा पुत्री मो0 इश्हाक
6. हमीदन पुत्री मो0 इश्हाक
7. हजारा पुत्री मो0 इश्हाक जाति मुसलमान हाल निवासीगण सोना वाले इश्हाक का मकान, नारायण पान वाली गली, बडी मस्जिद के पास बजाज खाना कोटा
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद, जिला कोटा

(अप्रार्थी)

उपस्थित :– 1. श्री राजेन्द्र कुमार (अभिभाषक प्रार्थी)
2. श्री रामबाबू मालव (अभिभाषक अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवंटन नियम 1970 उपनिवेशन विभाग (चम्बल सिंचाई नियम 14(4) के अन्तर्गत आवंटन निरस्तीकरण बाबत

निर्णय दिनांक :10.12.2019

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवंटन नियम 1970 उपनिवेशन विभाग (चम्बल सिंचाई नियम 14 (4) के अन्तर्गत आवंटन निरस्तीकरण प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये कि अप्रार्थीगण के पिता मो0 इश्हाक व मो0 रफीक को राजस्थान सरकार द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि मे आराजी खसरा नं0 456/3 रकबा 1 बीधा, खसरा नं0 456/2 रकबा 2 बीधा 16 बिस्वा, खसरा नं0 512/5 रकबा 3 बीधा 16 बिस्वा, खसरा नं0 512/6 रकबा 3 बीधा 12 बिस्वा कुल रकबा 12 बीधा 4 बिस्वा वाके ग्राम कोटसुंवा तहसील दीगोद की भूमि दिनांक 26.07.69 को नीलामी के जरिये आवंटित की गई थी । उक्त भूमि पर सेटलमेन्ट विभाग द्वारा नये खसरा नं0 608/966 रकबा 0.45 है0, खसरा नं0 1172 रकबा 0.79 है0, खसरा नं0 1367/1 रकबा 0.42 है0 कुल रकबा 1.66 है0 जो अप्रार्थीगणो के वर्तमान मे गैर खातेदारी मे दर्ज है । अप्रार्थी नं0 1 मो0 इश्हाक की मृत्यु हो चुकी है तथा गैर खातेदार क्रम 2 मो0 रफीक पुत्र मुत्तकीम खां की मृत्यु हो चुकी है व सईदन पुत्री मो0 इश्हाक भी फौत हो चुकी है तथा मो0 रफीक व सईदन के कोई वारिसान नही है । प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.10.88 को उक्त गैर खातेदारान मो0 इश्हाक व मो0 रफीक से एक इकरारनामा आलेखित किया गया था । उक्त भूमि गैर खातेदारी मे होने से राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम

1970 के नियम 14 (4) के तहत भूमि आवंटन जिस व्यक्ति को किया जाता है, वह व्यक्ति भूमि पर काबिज काश्त होना चाहिये और बदस्तूर कब्जे काश्त मे चला आता रहना चाहिये, लेकिन उक्त व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी को जो भूमि उक्त गैरखातेदारान व्यक्तियों द्वारा बेचान की गई थी, उक्त व्यक्तियों द्वारा उक्त नियमों का उल्लघंन करते हुए नियमों एवं शर्तो का उल्लघंन है और गैरखातेदारी की भूमि का हस्तांतरण करने का कोई विधिक अधिकार नही है । उक्त इकरानामे के बाद भी उक्त बेचान की राशि प्रार्थी के पिता कालू द्वारा तहसीलदार दीगोद मे दिनांक 06.01.03 को 1949/–रूपये जमा किये इससे पूर्व भी कार्यालय तहसीलदार दीगोद द्वारा दिनांक 23.04.82 को बकाया राशि की किश्ते, नीलाम एवं आवंटन आराजी उपनिवेशन की राशि 2737/–रूपये जमा कराई गई थी । प्रार्थी के पिता द्वारा समय समय पर उक्त आवंटित भूमि की लगान भी जमा कराते चले आ रहे है और उक्त भूमि आज भी प्रार्थी के कब्जे काश्त मे चली आ रही है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैर खातेदारी की भूमि को सिवायचक दर्ज कर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जाने का निवेदन किया गया ।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की ओर से श्री रामबाबू मालव अभिभाषक द्वारा वकालत नामा पेश किया गया ।

3. वकील अप्रार्थी क्रम 1/1 लगायत 7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि अप्रार्थीगण द्वारा या अप्रार्थीगण के पिता द्वारा प्रार्थी को किसी प्रकार का बेचान नही किया गया है और न ही अप्रार्थीगणा द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लघंन किया गया है । आवंटी सद्भाविक कृषक है न ही प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का दुर्व्यदेशन कर आवंटन प्राप्त किया है । प्रार्थी को उक्त भूमि के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नही है । अप्रार्थीगण का आवंटन दिनांक से ही भूमि पर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है । राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार द्वारा आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र को न्यायालय द्वारा दिनांक 30.01.2015 को निरस्त कर दिया गया है । उसके पश्चात प्रार्थी द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए पुनः अप्रार्थीगण के विरूद्व आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो वैधानिक रूप से चलने योग्य नही है । न्यायालय द्वारा एक निर्णय पारित करने के पश्चात पुन' उसी भूमि के सम्बन्ध मे एवं उन्ही आधारो पर सुनने का अधिकार एवं निर्णय पारित करने का अधिकार प्राप्त नही होने से चलने योग्य नही है और वैसे भी प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नही होने से भी उक्त प्रार्थना पत्र पोषनीय नही होने से प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया ।

4. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि राजस्थान सरकार द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि मे आराजी खसरा नं0 456/3 रकबा 1 बीघा, खसरा नं0 256/2 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 512/5 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 512/6 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा कुल रकबा 12 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम कोटसुंवा तहसील दीगोद की भूमि दिनांक 26.07.69 को नीलामी के जरिये आवंटित की गई थी । उक्त भूमि पर सेटलमेन्ट विभाग द्वारा नये खसरा नं0 608/966 रकबा 0.45 है0, खसरा नं0 1172 रकबा 0.79 है0, खसरा नं0 1367/1 रकबा 0.42 है0 कुल रकबा 1.66 है0 जो अप्रार्थीगण के वर्तमान मे गैर खातेदारी मे दर्ज है । जो पूर्व खातेदार मो0 इश्हाक व मोहम्मद रफीक के वारिसान है । उक्त भूमि के आवंटन के पश्चात् कभी भी आवंटियों (मो0 इश्हाक व मो0 रफीक) का कब्जा नही रहा और ना ही उक्त भूमि पर काश्त की है । प्रार्थी ने उक्त भूमि के बाबत दिनांक 26.10.88 को गैर खातेदार मो0 इश्हाक व मो0 रफीक से इकरारनामा 14000/–रूपये मे उक्त भूमि का क्रय किया गया है और उक्त भूमि पर उक्त गेर खातेदारान द्वारा कब्जा भी दिया है तब से उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । न्यायालय द्वारा प्रकरण मे कायम मुकाकान न बनाने के कारण खारिज किया गया था ।

तहसीलदार दीगोद द्वारा पुनः संशोधित करते हुए पुनः प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्तीकरण हेतु न्यायालय मे दि0 19.04.2017 को प्रस्तुत किया है, जो न्यायालय मे जैरकार है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (vii) मे उक्त आवंटी भूमि को बेचान करने पर उसके अधिकार समाप्त हो जाते है और उक्त प्रकरण मे आवंटी ने उक्त भूमि का बेचान विक्रय पत्र द्वारा किया गया है । गैर खातेदारी भूमि का गैर खातेदार व्यक्ति बेचान भी नही कर सकता , जैसा कि आवंटी व्यक्तियों द्वारा किया गया है । अतः गैरखातेदारी की वादग्रस्त आराजी को सिवाय चक दर्ज कर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने का निवेदन किया गया ।

6. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि राजस्थान सरकार द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि मे आराजी खसरा नं0 456/3 रकबा 1 बीधा, खसरा नं0 256/2 रकबा 2 बीधा 16 बिस्वा, खसरा नं0 512/5 रकबा 3 बीधा 16 बिस्वा, खसरा नं0 512/6 रकबा 3 बीधा 12 बिस्वा कुल रकबा 12 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम कोटसुंवा तहसील दीगोद की भूमि दिनांक 26.07.69 को नीलामी के जरिये आवंटित की गई थी । उक्त भूमि पर सेटलमेन्ट विभाग द्वारा नये खसरा नं0 608/966 रकबा 0.45 है0, खसरा नं0 1172 रकबा 0.79 है0, खसरा नं0 1367/1 रकबा 0.42 है0 कुल रकबा 1.66 है0 जो अप्रार्थीगण के वर्तमान मे गैर खातेदारी मे दर्ज है जो पूर्व खातेदार मो0 इश्हाक व मो0 रफीक के वारिसान है और उक्त वारिसान ही उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है । तहसीलदार द्वारा आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र को न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2015 को निरस्त कर दिया गया है । उसके पश्चात प्रार्थी द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए पुनः अप्रार्थीगण के विरूद्व आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो वैधानिक रूप से चलने योग्य नही है । न्यायालय द्वारा एक निर्णय पारित करने के पश्चात पुन' उसी भूमि के सम्बन्ध मे एवं उन्ही आधारो पर सुनने का अधिकार एवं निर्णय पारित करने का अधिकार प्राप्त नही होने से चलने योग्य नही है और वैसे भी प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई लाकस स्टेण्डाई नही होने से भी उक्त प्रार्थना पत्र पोषनीय नही होने से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है । मो0 इस्हाक व मो0 रफीक द्वारा किसी भी प्रकार का बेचान प्रार्थी को नही किया गया है, जिस तथाकथित दस्तावेज के आधार पर बेचान करना बताया जा रहा है उक्त दस्तावेज फर्जी एवं बनावटी दस्तावेज है । उक्त दस्तावेज के संबध मे अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के विरूद्व एक मुकदमा थाना नयापुरा कोटा मे धारा 420,467,468,471 आईपीसी मे दर्ज रजिस्टर्ड है । उक्त प्रकरण मे अनुसंधान विचाराधीन है तथा ऐसे तथाकथित दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है और वैसे भी वैधानिक रूप से खातेदारी अधिकारो का स्थानान्तरण पंजीकृत विक्रय पत्र,दानपत्र व वसीयत के माध्यम से ही किया जा सकता है । इकरार नामे के आधार पर खातेदारी अधिकारों का हस्तान्तरण वैधानिक रूप से नही किया जा सकता है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया ।

7. पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन कियागया । विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया । प्रार्थी नाथू पुत्र नासिर हुसैन द्वारा मोहम्मद इश्हाक व मोहम्मद रफीक को आवंटित आराजी ख0नं0 456/3, 256/2, 512/5, 512/6 कुल रकबा 12 बीघा 04 बिस्वा जिसके हॉल ख0नं0 608/966, 1172/1, 1367/1 कुल रकबा 1.66 है0 कायम किये गये है पर कब्जा काश्त न होने आवंटी द्वारा अवैध रूप से प्रार्थी को बेचान करने व अप्रार्थी के कब्जा काश्त में नहीं होने के आधार पर निरस्त करने हेतु पेश किया । प्रश्नगत आराजी का दिनांक 28.04.1967 को मो0 ईश्हाक व मोहम्मद रफीक को जर्ये नीलामी भूमि विक्रय की गई जिसकी बोली दिनांक 28.06.1967 को स्वीकार की गई । प्रार्थी नाथू द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व न्यायालय उप–खंड अधिकारी दीगोद में विवादित आराजी पर भूमि क्रय करने तथा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने हेतु दावा पेश किया जो दिनांक 19.02.2018 को उपखंड अधिकारी दीगोद द्वारा खारिज किया गया । इसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी में नाथू द्वारा करने पर उक्त अपील भी दिनांक 02.01.2019 को राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा खारिज की गई । अप्रार्थी द्वारा पेश किये गये उप–खंड अधिकारी न्यायालय

तथा राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट है कि विवादित आराजी के संबंध में नियमित वाद प्रार्थी द्वारा पेश करने पर बाद सुनवाई खारिज किए गये । प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी पर स्वयं का कब्जा मानते हुये तथा भूमि क्रय करने के आधार पर यह प्रार्थना–पत्र पेश किया है परन्तु नियमित वाद में उसे किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं हुआ । अतः प्रार्थी का प्रश्नगत आराजी पर कब्जा होना प्रमाणित नहीं माना जा सकता । न ही उसके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है जिससे अप्रार्थीगण का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं होना साबित होता हो । प्रार्थी द्वारा जरिये इकरारनामा विवादित आराजी का विक्रय किया जाना प्रार्थना–पत्र में अंकित है परन्तु इस अवैध विक्रय से उसे किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं होता तथा न ही उसका भूमि पर कब्जा होना ही साबित होता है । न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2011 (1) आरआरटी 2070 पर प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार भी अतिक्रमी के कब्जे में भूमि होने से न तो आवंटन निरस्त किया जा सकता है और न ही अपीलांट को कोई अनुतोष ही प्राप्त हो सकता है । विवादित आराजी का आवंटन/नीलामी वर्ष 1967 का है । 40 वर्षों से अधिक समय पश्चात् उक्त आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र पेश किया है । 2011 (2) आरआरटी 1205 के अनुसार भी आवंटन के 40 वर्षों के बाद आवंटन निरस्त करने हेतु पेश किये गये आवेदन में निरस्त करने हेतु मामला नहीं पाया और आवेदन खारिज किया गया । 2018 (1) आरआरटी 285 के अनुसार अपंजीकृत विलेख के आधार पर भी भूमि का विक्रय अवैध नहीं माना जा सकता । भूमि का हस्तांतरण विधिमान्य व वैध नहीं है । अतः वह निरस्त नहीं किया जा सकता ।

8. अतः चूंकि नियमित वाद में प्रार्थी को किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं हुआ है तथा प्रार्थी विवादित आराजी पर अप्रार्थी का कब्जाकाश्त नहीं होना साबित करने में सफल नहीं हुआ है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है ।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तहसील दाखिल दफ्तर की जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 10.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा